

FORM NO. III

फर्द अहकाम

(नियम-26)

2022/264

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर खेतड़ी
जिला झुंझुनूं (राज.)
(प्रशासन गांवों के संग अभियान - 2021)
“फॉलोअप शिविर”


पीठासीन अधिकारी :- जयसिंह आर.ए.एस.

मिसल नम्बर:-227/2022

किस्म प्रार्थना-पत्र:- अन्तर्गत धारा 136 एल.आर.एक्ट 1956

मोहरली देवी पुत्री सुरजा जाति माली निवासी ककराना तह0 उदयपुरवाटी
बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार (भू.अ.)खेतड़ी

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
08.06.22	<p>आज यह प्रार्थना पत्र प्रार्थीया स्वयं ने कैम्प-राजोता में उपस्थित होकर पेश किया। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर तहसीलदार खेतड़ी से जांच रिपोर्ट ली गई। प्रार्थीया को सुना गया। पत्रावली पर उपलब्ध प्रलेखीय दस्तावेजात् का ध्यानपूर्वक अवलोकन मनन किया गया। तहसीलदार खेतड़ी की जांच रिपोर्ट क्रमांक 230 दिनांक 08.06.2022 के आधार पर प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने योग्य है।</p> <p>—:आदेश:-</p> <p>अतः प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर वाके राजस्व ग्राम नानूवाली बावड़ी तहसील खेतड़ी स्थित भूमि जमाबन्दी सम्वत 2076-2079 हाल खाता संख्या 79 में दर्ज वर्तमान प्रविष्टि मनोहरी देवी पुत्री सुरजा के स्थान पर मोहरली देवी पुत्री सुरजा दुरुस्त कर राजस्व रिकार्ड दुरुस्त किये जाने का आदेश दिया जाता है। खाते की शेष प्रविष्टियां यथावत रहेगीं। भूमि पर रहन यदि कोई हो तो, रहन मुक्त होने पर ही आदेश का अमल हो। उक्तानुसार पालना हेतु तहसीलदार (भू.अ.) खेतड़ी को आदेश की प्रति सहित तहरीर जारी हो। पत्रावली फैसल होकर दर्ज नम्बर से कम हो तथा बाद तकमील जाप्ता दाखिल दफ्तर हो।</p> <p>आदेश आज प्रशासन गांवों के संग अभियान 2021 फॉलोअप कैम्प-राजोता में दिनांक 08.06.2022 को मजमें आम में सुनाया गया।</p> <p style="text-align: right;">  (जयसिंह) उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक खेतड़ी </p>	

उपखण्ड अधिकारी, खेतड़ी